दिनांक 19.07.2016 को कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार, पटना की अध्यक्षता में किसान पुरस्कार कार्यक्रम के कार्यान्वयन संबंधी अनुदेश पर विचार–विमर्श हेतु आयोजित बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति– अलग से पंजी मे संधारित।

1. निदेशक बामेती द्वारा बताया गया कि नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी के तहत सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन (आत्मा योजना) 2016–17 अंतर्गत किसान पुरस्कार कार्यक्रम का प्रस्ताव स्टेट एक्सटेंशन वर्क प्लान में दिया गया हैं। दिनांक 05.08.2016 को आयोजित SLSC कि बैठक में राज्य स्तर पर पुरस्कारों को बढ़ाने का निदेश प्राप्त हुआ था। किसान पुरस्कार कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए कार्यान्वयन अनुदेश तैयार किया गया है।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार, पटना द्वारा निदेश दिया गया कि पुरस्कार हेतु किसानों के चयन की प्रक्रिया एवं शर्तें/मापदण्ड को पारदर्शी बनाया जाय।
3. सर्वसम्मति यह निर्णय लिया गया कि खाद्यान्न/दलहनी/तेलहनी फसलों में कृषकों के चयन का आधार गुणवत्तापूर्ण अधिकतम उत्पादकता (क्विन्टल/एकड़) होगी। उत्पादकता का निर्धारण 10 मी0 x 5 मी0 = 50 वर्गमीटर में फसल कटनी आयोजित कर किया जाएगा। इसी प्रकार से सब्जी फसल के लिए गुणवत्तापूर्ण सबसे बड़ा सब्जी (वजन में) होगा। गाय पालन के लिए एक गाय का एक शाम का अधिकतम दूध उत्पादन की मात्रा होगी। गाय के दूध की उत्पादकता के निर्धारण के लिए एक तिथि निर्धारित कर प्रखंड के पशुपालकों को दूधारू गाय लाने को कहा जाएगा तथा समूह में मूल्याकन समिति की उपस्थति मे दूध दूहाई का कार्य सम्पन्न होगा तथा उत्पादकता का निर्धारण किया जाएगा। बकरी पालन के लिए एक बकरी/बकरा का अधिकतम वजन होगा। मत्स्य पालन के लिए तालाब में 20 दिनों के अंतराल पर तीन बार जाल डाला जाएगा तथा प्रति वर्गमीटर में औसत मात्रा निकाल कर अधिकतम उत्पादकता का निर्धारण किया जाएगा।
4. किसानों से आवेदन पत्र ऑन–लाईन प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।
5. किसान पुरस्कार हेतु प्रति वर्ष एक खाद्यान्न फसल, एक दलहन फसल, एक सब्जी फसल तथा एक दूध/मांस/मछली प्रक्षेत्र को पुरस्कार में सम्मलित करने का निर्णय लिया गया।
6. किसान पुरस्कार के लिए तैयार किये गये कार्यान्चयन अनुदेश को संशोधित करने का निर्णय लिया गया। संशोधित कार्यान्चयन अनुदेश की प्रति अनुसूची–1 के रूप में संलग्न है।
7. उत्पादकता के निर्धारण/मूल्यांकन संबंधी पूरी प्रक्रिया का विडियोग्राफी कराने का निर्णय लिया गया।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

10/9/16	10/9/16	
उप निदेशक (पौधा संरक्षण) बामेती	निदेशक बामेती	कृषि उत्पादन आयुक्त
बिहार, पटना	बिहार, पटना	बिहार, पटना

ज्ञापांकः 22/बामेती/2016-17/1054 दिनांक 16/09/16

प्रतिलिपिः– सभी जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष आत्मा शासी परिषद/सभी जिला नोडल पदाधिकारी/सभी राज्य योजना नोडल पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शस्य)/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी परियोजना निदेशक, आत्मा/सभी सहायक निदेशक उद्यान/सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी/सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण/सभी कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र/सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/9/16

निदेशक

बामेती, बिहार, पटना

ज्ञापांकः 22/बामेती/2016-17/1054 दिनांक 16/09/16

प्रतिलिपिः– कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि, बिहार, पटना के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, योजना विकास विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के आप्त सचिव/निदेशक, कृषि, बिहार, पटना के आप्त सचिव/निदेशक, पशुपालन के आप्त सचिव/निदेशक उद्यान के आप्त सचिव/निदेशक, मत्स्य के आप्त सचिव/निदेशक पी0पी0एम0/संयुक्त निदेशक (शस्य) योजना/अपर निदेशक (शस्य)–सह–प्रभारी पदाधिकारी (आत्मा योजना) को सूचनार्थ प्रेषित।

16/9/16

निदेशक

बामेती, बिहार, पटना